दैनिक भास्कर

6 November 2009

मोबाइल के लिए अलग अदालत की मांग

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सीएमएआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार मंत्रालय से मांग की है कि देश में हर महीने बढ़ते एक से डेढ़ करोड़ नए मोबाइल ग्राहकों की संख्या को देखते हुए मोबाइल-टेलीफोन से संबंधित शिकायतों के लिए अलग से अदालत का गठन किया जाए। इस दिशा में पहल को गति देने के उद्देश्य से एसोसियेशन ने कानून मंत्रालय के समक्ष भी यह मांग रखी है। कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया एंड आईटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एनके गोयल के मुताबिक उन्होंने दूरसंचार व कानून मंत्रालय के साथ ही यह मांग वित्त मंत्रालय से भी की है। इसकी वजह यह है कि मोबाइल और फोन का मामला दूरसंचार मंत्रालय से जुड़ा है। जबकि अदालत के लिए न्यायाधीश आदि उपलब्ध कराना कानून और इस व्यवस्था पर आने वाले खर्च की व्यवस्था करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। गोयल के मुताबिक अपने एक आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतों पर मोबाइल से संबंधित शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था तलाश करनी होगी। गोयल के मुताबिक, उन्होंने इस मांग के साथ ही वित्त मंत्रालय के समक्ष एक फोन से दूसरे पर की जाने वाली कॉल के एवज में वसूले जाने वाले टर्मिनेशन चार्ज को भी खत्म करने की मांग की है। इससे कॉल दर और सस्ती हो सकती है। सरकार से उनकी एसोसियेशन की मांग है कि जो भारतीय उत्पादक भारतीय पेटेंट पर मोबाइल, सूचना तकनीक से संबंधित उत्पाद बनाते हैं उन्हें टैक्स आदि में रियायत दी जाए।